राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1676/2025

गिरधारी लाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर।
3. शिवसिंह चौधरी, पशुधन सहायक, पशु चिकित्सालय, कठूमर, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.01.2025
आदेश की दिनांक : 07.03.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर पशु चिकित्सालय, भुसावर, जिला भरतपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.01.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पशु चिकित्सालय, कठूमर, अलवर किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2026 को है, जिसमें मात्र 18 माह का समय ही शेष है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को समंजित करने के आशय से किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने डॉ. अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में यह माना था कि किसी भी व्यक्ति को समायोजित करने के लिए कोई स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी स्वयं कई बीमारियों से पीड़ित है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.01.2024 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 13.01.2024 के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पशु

चिकित्सालय, भुसावर, जिला भरतपुर से पशु चिकित्सालय, कठूमर, अलवर किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश में निजी प्रत्यर्थी से समंजन किया गया हो यह तथ्य पत्रावली पर स्पष्ट नहीं होता है। जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को समंजित करने का प्रश्न है **डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438** का निर्णय उदृत किया गया है। प्रकरण के तथ्यों से निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचित कारण के निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य इस प्रकरण से भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। अपीलार्थी का प्रत्यर्थी विभाग द्वारा समुचित समयावधि पश्चात स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में 18 माह का समय शेष है, जो पर्याप्त समय है।

आलौच्य आदेश में कोई दुर्भावना निहित होना या नियम विरूद्धता होना नहीं पाये जाने के कारण अपील अपीलार्थी इसी प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य